रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हेतु आवश्यक सूचना

1. दिनांक 21.10.2015 से पोस्ट बेसिक बी.एस.सी नर्सिंग एवं एम.एस.सी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के फार्म ऑन लाईन किये गये है। इससे पूर्व ANM. GNM & BSc Nursing रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑनलाईन थे। इस सम्पूर्ण प्रकिया को अब डिजिटल हस्ताक्षर के साथ प्रारंभ किया गया था।
2. उपरोक्त समस्त सर्टिफिकेट मे Documents Attachment की सुविधा दी जा रहीहै। जिसमे छात्र की 10th, 12th कोर्स कम्पलीशन सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इर्न्टशिप सर्टिफिकेट तथा नर्सिंग कोर्स से संबंधित दस्तावेजो को ऑनलाइन फार्म के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
3. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या/संचालक को निर्देशित किया जाता है कि वे छात्र–छात्राओ के समस्त संलग्न दस्तावेजो की बारिकी से छानबीन कर ही फार्म को सत्यापित कर कौंसिल को जल्द से जल्द फारवर्ड करें। दस्तावेज अगर झूठे या जाली पाये गये तो प्राचार्य/संचालक ही जवाबदार होगे और उस संस्था के प्राचार्य एवं संचालक के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। इसमे कौंसिल का किसी भी प्रकार का दायित्व नही होगा।
4. समस्त संस्थाओ को निर्देशित किया जाता है कि रजिस्ट्रेशन फार्म छात्र–छात्राओ के संस्था की यूनिफार्म मे ही फोटो मान्य की जायेगी अन्य किसी भी प्रकार की ड्रेस मे फोटो मान्य नही कि जायेगी और न ही साइट पोज में। अतः इसका कड़ाई से पालन किया जावे। बिना कलर यूनिफार्म वाले फोटो रजिस्ट्रेशन फार्म कौंसिल द्वारा मान्य नही किये जायेगे।
5. दिनांक 21.10.2015 से कौंसिल मे मूल दस्तावेजों की जांच करने की प्रकिया को समाप्त किया गया है। अतः किसी भी छात्र–छात्राओ को इस हेतु कौंसिल मे न भेजा जाये। फार्म फारवर्ड करने के उपरांत उसकी सूची कौंसिल मे कवरिंग लेटर के साथ मेल या डाक द्वारा जमा की जाये।
6. रजिस्ट्रेशन फार्म को अगर किसी भी कारण से अस्थाई/स्थाई रूप निरस्त किया जाता है तो दिये गये Remarks Box मे स्पष्ट कारण लिखना होगा कि किस कारण से छात्र–छात्राओ का फार्म निरस्त किया गया है।
7. फारवर्ड करने से पूर्व रजिस्ट्रेशन फार्म मे कोई त्रुटि होती है तो Edit/View मे जाकर उसका सुधार किया जा सकता है। फार्म को सही प्रकार से जांच करने एवं छात्र के मूल दस्तावेजो से मिलान करने के पश्चात ही फार्म कौंसिल को फारवर्ड किया जाये।
8. नर्सिग छात्र–छात्राओ को SMS सुविधा के अलावा कौंसिल ने नवीन सुविधा उपलब्ध करायी है जिसमे छात्र अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एम.पी. ऑनलाईन के माध्यक से स्वयं निकाल सकता है यह सर्टिफिकेट समस्त प्रकार की नौकरी के लिये मान्य होगा तथा नियुक्तिकर्ता अधिकारी भी इसे ऑनलाईन वेरीफाई कर सकते है। ओरिजनल सर्टिफिकेट Hologram एवं Mono सील लगने के पश्चात संबंधित संस्था के पते पर ही भेजे जावेगे।
9. इस के लिये छात्र को एम.पी.ऑनलाईन के सिटिजन सर्विसेस मे विश्वविद्यायल मे जाकर MP Nurses Registration Council को Select कर रजिस्ट्रेशन स्टेटस मे जाकर अपना आर.जी. नम्बर (Application No) एवं जन्मतिथि (Date of Birth) डालना होगी। जिससे उसके रजिस्ट्रेशन की वास्तविक स्थिति उसे ज्ञात होगी। अगर स्टेट्स मे सर्टिफिकेट मे रजिस्ट्रार के डिजिटल साईन हो गये होगे तो छात्र–छात्राये अपना सर्टिफिकेट ऑनलाईन निकाल सकते है। अन्यथा कहॉ तक प्रकिया हुई है उसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
10. पोस्ट बेसिक बी.एस.सी नर्सिग एवं एम.एस.सी नर्सिग के अन्य प्रदेश के छात्रो को मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल मे रजिस्ट्रेशन पंजीयन होना अनिवार्य होगा। मध्यप्रदेश मे रजिस्ट्रेशन पंजीयन न होने की दशा मे रजिस्ट्रेशन की प्रकिया नही की जायेगी।

दिनांक :07.07.2020

8/7/2020

रजिस्ट्रार

मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौसिल

भोपाल